

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837 फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II-III/780

दिनांक:- 08-09-23

कार्यालय आदेश

निम्नांकित अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिक अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में कॉलम संख्या 6 में अंकित रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य भी अग्रिम आदेश/पदस्थापन होने तक सम्पादित करेंगे :-

क्र.स.	लिंक न.	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	वर्तमान विभाग/कार्यालय	अतिरिक्त कार्य का विभाग/कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	11113	उम्मेद कुमार, सलेअ-ग्रेड-II	तहसीलदार, राजस्व विभाग, पूगल(बीकानेर)	उपकोष कार्यालय पूगल (बीकानेर)	रिक्त पद पर
2	12178	धमेन्द्र सिंह, सलेअ-ग्रेड-II	प्राचार्य, पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र, पुष्कर, (अजमेर)	भू-प्रबन्ध अधिकारी अजमेर	रिक्त पद पर
3	2824	जयनारायण प्रकाश स.ले.अ.ग्रेड-I	निदेशक, एन.सी.सी., जयपुर	राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, जयपुर	रिक्त पद पर
4	11498	अर्जुनलाल जाट, सलेअग्रेड-II	अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर	राजस्थान पुलिस आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, जयपुर	रिक्त पद पर

विभागीय आदेश सं. 415 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा श्री रामनिवास तर्ड, स.ले.अ. ग्रेड-II (लिंक नं. 11127) कार्यालय सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर को कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, बीकानेर में स.ले.अ. ग्रेड-II का दिया गया अतिरिक्त कार्यभार को निरस्त किया जाता है।

इन्हे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दोहरा कार्यभार देय होगा।

यह आदेश निदेशक महोदय के स्तर से अनुमोदित है।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अति.कार्य/अलेसे-II-III/780

दिनांक:- 08-09-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. संबंधित कोषाधिकारी
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
4. अति.निदेशक (कार्मिक-I)
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
6. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड I/II/क.ले. को पालनार्थ।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)